राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान

झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांकः F-100(33)/SIHFW/Recruit-NHM/Pharmacist/2022/7371 दिनांकः—16.11.2022

विज्ञप्ति

राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (शिफ्) जयपुर द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान के लिए नर्सिंग ऑफिसर एवं फार्मासिस्ट के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित) में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। विज्ञापित पदों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। विस्तृत विज्ञप्ति विभाग की वेबसाईट www.sihfwrajasthan.com एवं www.rajswasthya.nic.in पर दिनांक 17.11.2022 सायं 4.00 बजे से उपलब्ध होगी। ऑनलाईन आवेदन हेतु लिंक दिनांक 24.11.2022 अपरान्ह 4 बजे से दिनांक 23.12.2022 मध्यरात्रि 12.00 बजे तक उक्त वैबसाईट पर उपलब्ध रहेगा। यह पद स्थाई है जिनका संख्या विवरण निम्नानुसार है:—

क्र0सं0	पदनाम	कुल पदों की संख्या
1	नर्सिंग ऑफिसर	1289
2	फार्मासिस्ट	2020

1. उपरोक्त भर्ती में राज्य सरकार के नवीनतम दिशा—निर्देशानुसार आरक्षण
2. आयु सीमा की गणना दिनांक 01.01.2023 को आधार मानकर की जायेगी।
3. आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित) के नियम 10 में उल्लेखित प्रावधानों एवं कार्मिक विभाग/राजस्थान सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार शिथिलता देय होगी।
4. ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट हो जाने के बाद तत्काल एडिटिंग की अनुमति नहीं होगी। आवेदन की अन्तिम तिथि पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करवाकर त्रुटि संशोधन हेतु अवसर दिया जायेगा।
5. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विस्तृत विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढकर, उसमें उल्लेखित दिशा—निर्देशों के अनुरूप, स्वयं की पात्रता सुनिश्चित करने के पश्चात ही आवेदन करें। पात्रता के सम्बन्ध में विभाग का निर्णय ही अन्तिम होगा।
6. अनुसूचित क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के विज्ञापित पदों के विरूद्ध भी आवेदन कर सकते है। इसके लिए पृथक से आवेदन करना होगा।
7. अनुभव अवधि की गणना ऑनलाईन आवेदन भरे जाने की प्रारम्भ तिथि से ठीक पूर्व दिनांक तक (निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करने पर) की जायेगी।
8. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन अंतिम रूप से सबमिट करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि उसके द्वारा स्वयं/ई—मित्र/जनसुविधा केन्द्र द्वारा की गई प्रविष्टियां सही भरी गई हैं एवं अपलोड किये गये दस्तावेज नियमानुसार एवं सही हैं। त्रुटिपूर्ण/गलत प्रविष्टि/दस्तावेज के लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
9. उक्त विज्ञापित पदों में कमी/वृद्धि अथवा विज्ञप्ति को निरस्त किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जायेगी एवं ना ही शुल्क लौटाया जायेगा।
10. भर्ती के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं/दिशा—निर्देशों के लिए वैबसाईट www.sihfwrajasthan.com एवं www.rajswasthya.nic.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

निदेशक
राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान
जयपुर, राजस्थान